राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्री.बी.पी.एड./प्री.एम.पी.एड./प्री.एम.एड./प्री.बी.एड.–एम.एड. प्रवेश परीक्षा 2025

PBPED, PMPED, PMED & PBED-MED/2025/30 दिनांकः 24.04.2025

अधिसूचना संख्या 01/2025

राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र् 2025–26 के लिए बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों एवं तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम में राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 28.04.2025 से 11.05. 2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सम्बंधित पाठ्यक्रम की वेबसाइट (बी.पी.एड.) https://pbped.univraj.org (एम.पी.एड.) https://pmped.univraj.org (एम.एड.) https://pmet.univraj.org (बी.एड. –एम.एड.) https://pbmet.univraj.org का अवलोकन कर तद्नुसार ऑनलाईन आवेदन फार्म निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें। प्रवेश सम्बंधित विस्तृत दिशा–निर्देश/सूचना के लिये आवेदक समय–समय पर संबंधित वेबसाइट देखते रहें।

एम.एड. प्रवेश परीक्षा–2025 हेतु दिशा–निर्देश

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाईट http://pmet.univraj.org पर इससे संबंधित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन करें तत्पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में सामान्यसी त्रुटि आपको इस प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।
2. आवेदन पत्रप्रस्तुत करते समय कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है और निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज नहीं करना व जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र लगाना, इस प्रवेश में लाभ प्राप्त करने की नीयत से दुर्भावनापूर्वक किया गया कृत्य माना जायेगा।
3. परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
4. राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय–समय पर जारी/निर्मित आदेश एवं निर्देश आदि प्रवेश परीक्षा पर लागू होंगे।
5. प्री.एम.ई.टी.–2025 आवेदन–पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें, पहले आवेदन फार्म तथाशुल्क रू. 1000/–की मूल प्रति, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के निर्देशानुसार), परित्यक्ता (तलाकशुदा)/विधवा/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईनआवेदन पत्र की प्रति, फीस जमा कराने की चालान की प्रति की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
6. प्री.एम.ई.टी–2025 का परीक्षा केन्द्र जयपुर शहर ही होगा।

❖ महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री एम.एड. प्रवेश परीक्षा 2025 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर रू. 2000/– तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनो सजाएं साथ–साथ हो सकती हैं।

राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा पत्रांक प.10/(3)शिक्षा–4/2016 पार्ट–00224 दिनांक–20.02. 2025के अनुमोदनानुसार राजस्थान के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम के सत्र् 2025–26 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एकीकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रवेश नियम

राजस्थान के सभी एम.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में एम.एड. प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रवेश कार्य किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न एम.एड. महाविद्यालयों/संस्थानों में सत्र् 2025–26 के लिए द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु **प्री. एम.एड. प्रवेश परीक्षा–2025 (प्री.एम.ई.टी.)** दिनांक 22.06.2025 को होने वाली परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों सेऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2025 से 11.05.2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं।प्री मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रवेश परीक्षा 2025 सत्र 2025–26 के द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईनआवेदन पत्र मय परीक्षा शुल्क रू. 1000/– है।

एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमः–

1. राजस्थान के सभी एम.एड. महाविद्यालयों/ सस्थानों में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एम.एड. प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग (पुरूष व महिला दोनों) के लियें बी.एड/शिक्षा शास्त्री/बी.ए.–बी.एड./बी.एस.सी–बी.एड./बी.एल.एड./अवर स्नातक उपाधि के साथ डी. एल.एड. परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग,दिव्यांग, विधवा एवं तलाकशुदा (परित्यक्ता) महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आवेदक ही योग्य हैं।
3. इस वर्ष बी.एड/शिक्षा शास्त्री/समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते है, लेकिन शर्त यह है कि जिनका परीक्षा परिणाम 30.06.2025 तक घोषित नही हुआ, वे नॉन ज्यूडिसियल रू. 50/–स्टाम्प पेपर पर घोषणा करेगें कि मेरा बी.एड़/शिक्षा शास्त्री/समकक्ष का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही महाविद्यालय को अंकतालिका दे दी जायेगी। अगर मेरे परिणाम में निर्धारित अहर्ताये पूरी ना होने के कारण मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो मैं समस्त जमा करवायें शुल्क की मांग नही करूँगा/करूँगी।
4. प्री. एम.एड. प्रवेश परीक्षा के अंको को आधार मानकर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी। अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिए।
5. राजस्थान सरकार द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए नियमों का निर्धारण इस प्रकार किया गया हैः–
   - I. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आंवटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणीयों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नही हो, शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं।
   - II. अन्य आरक्षण इस प्रकार रहेगाः–
     - i. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत
     - ii. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत (इसमें से 45 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो के लिए)
     - iii. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत
     - iv. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार) देय होगा।
     - v. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत में से 08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लियें आरक्षित रहेगा।
     - vi. राजस्थान के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए (दृष्टिहीन, मूक/बधिरएवं अस्थि दिव्यांग सहित) कम से कम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म नं. 4 पर नियमानुसार प्रस्तुत करने पर 05 प्रतिशतक्षैतिज (**Horizontal**) के आधार पर।

vii. राजस्थान के सेवारत/सेवानिवृत रक्षा कर्मियों (Defence) एवं उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज (**Horizontal**) के आधार परसीमा सुरक्षा बल (B.S.F.), सेन्ट्रल पुलिस बल एवं टेरिटोरियल बल के कर्मियों का इस श्रेणी में कोई आरक्षण नही होगा।

viii. राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर पर 10 प्रतिशत आरक्षण (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी।

6. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक आधार पर सामान्य वर्गके अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का नवीन प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
8. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नही की है, देना अनिवार्य होगा।
9. रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उन्हें भी एम.एड. प्रवेश परीक्षा में राजस्थान का माना जा सकता है। बशर्ते उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
10. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा ओर यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
11. पात्र अभ्यर्थीयों की कुल संख्या में से पहले अनारक्षित सीटों हेतु चयन किया जायेगा, तत्पश्चात आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।
12. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। वरीयता सूची का परिणाम इन्टरनेट पर उपलब्ध होगा। काउन्सलिंग की समय सारणी वेबसाईटपर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहियेकि वे वेबसाईट पर ध्यान रखें। किन्ही अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या ऑनलाईन काउन्सलिंग होने पर निश्चित समय पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं करने या काउन्सलिंग के समय जो महाविद्यालय उनकों आवंटित किया जाता है, उसें अस्वीकार करने पर एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मैरिट का स्थान खो देगे और पुनः उनके मामले पर विचार नही किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद पुनः किसी भी दशा में महाविद्यालय के **परिवर्तन/स्थानान्तरण** व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी एम.एड. पाठ्यक्रम वाले संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहींहै।
14. पुरूष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मैरिट के अनुसार महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
15. काउन्सलिंग की तिथि30.06.2025 तक निर्धारित पात्रता परीक्षा की मूल अकंतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता उपरोक्त बिन्दु सं. 03 में वर्णित विवरण के अनुसार होगी।

16. प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

i. अभ्यर्थी को एम.एड. प्रवेश में अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं के स्तर पर जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि एम.एड. प्रवेश स्तर तक आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। एम.एड. में प्रवेश की जिम्मेदारी स्वतः अभ्यर्थी की अपनी है। यदि बाद में यह पता लगे कि वह एम.एड. प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता और वह प्री.एम.ई.टी. में बैठ जाता है तो भी उसे प्रवेश का कोई अधिकार नही होगा।

ii. अभ्यर्थी को ऑनलाईन उपलब्ध नियमावली व सामान्य निर्देशों की प्रतिलिपि प्राप्त कर ध्यानपूर्वक अध्ययन करके तथा पालना करते हुए आवेदन पत्र भरना चाहिये।

iii. परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्नको (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नही करना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किये बगैर पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/ तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

iv. प्री.एम.ई.टी.–2025का शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नही होगा। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।

v. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एम.ई.टी. नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

vi. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी शिक्षा स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होगे और यदि शिक्षा स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्म तिथि (Oldest) को आधार माना जायेगा।

प्री.एम.ई.टी.–2025के प्रवेश हेतु मार्ग–दर्शनः–

I. प्री.एम.ई.टी. में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें चार अनुभाग होंगेः–
   i. शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार (Social and Philosophical Foundation of Eduation)
   ii. अधिगम का मनोविज्ञान (Psychology of Learning)
   iii. शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी (Educational Management and Educational Technology)
   iv. शिक्षण कुशलता (Teaching Efficiency)

II. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। प्रत्येक अनुभाग में 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे।

<u>सही गोला करने का उदाहरण</u>

○	●	○	○

III. **प्रश्न–पत्र का माध्यम (Medium of Question Paper): ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र की भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। चयनित भाषा के आधार पर ही अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में देय नहीं होगा।**

IV. प्रश्न पत्र की अवधि एक घण्टा तीस मिनट (90 मिनट) की होगी।

V. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और पूरा प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

VI. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिये जायेंगे। परीक्षा में <u>नेगेटिव मार्किंग नही होगी</u>।

VII. सभी अनुभागों के प्रश्न पत्र ''टेस्ट बुकलैट'' के रूप में होंगे, जिसमें प्रत्येक अनुभाग, क्रमशः1,2,3,......... 25 तक क्रमांक में 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प उत्तर (1) (2) (3) (4) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसेदिये गये उत्तर पत्रक (OMRSheet) में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में नीले बालपेन से पूरे गोले को गहरा

नीला करना है। निशान गहरा नीला/काला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा नीला/काला करना है। उत्तर पत्रक पर इधर–उधर कहीं भी निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को नीला/काला कर देने से उत्तर गलत मान लिया जायेगा। उत्तर पत्रक पर अन्य कार्य नहीं करना है। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

VIII. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combination) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक एवं कोड उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंको के समानान्तर गोले को सावधानी से गहरा नीला करें।

परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्रभरने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

I. <u>परीक्षा शुल्क</u>: अभ्यर्थी एम.एड. परीक्षा शुल्क राशि रू. 1000/–का भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड,UPI/E-Mitra अथवा नेट बैकिंग से कर सकेगें तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।

II. <u>ऑनलाईन आवेदन–पत्र व चालान की प्रिन्ट प्रतियों को सुरक्षित रखने हेतु</u>: प्रीएमईटी–2025 आवेदन–पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों तथा संलग्नक प्रपत्रों को इस प्रकार संलग्न करें। पहले आवेदन फार्म तथा पंजीकरण शुल्क रू. 5000/–की मूल प्रति, अंकतालिकाओं की छाया प्रतिलिपियाँ व अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा (परित्यकता), दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक है) लगायें। आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति एंव फीस जमा कराने की तीन प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय में प्रवेश की उपस्थिति के समय दो प्रतियाँ महाविद्यालय को देनी होगी। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

III. **आवेदक ध्यान दे** :– जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित 5000/– पंजीकरण शुल्क जमा करवा दिया गया है किन्तु किन्ही कारणों से आंवटित महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया गया है तथा सीटों के अभाव में महाविद्यालय आंवटित नही हो सका है , ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आंवटित हो चुका है किन्तु आंवटित महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया गया है , उनसे पंजीकरण राशि में से 1000/–प्रति अभ्यर्थी तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में सीट आंवटित नही हो सकी है, उनके पजीकरण राशि में से रू. 500/– प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभार के रूप में काटकर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

IV. आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा यदिः–

i. अर्हक परीक्षा की सभी अंक सूचियों की फोटो प्रतियां, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणीकृत न हो अथवा स्वयं द्वारा सत्यापितन हो।

ii. मूलनिवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो ।

iii. आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न न हो ।

V. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. सत्र् 2025–26 में मात्र प्रवेश देने की जिम्मेदारी ही राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यो के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रवेश की घोषणाः प्रवेश की सूचना वेबसाईट पर दी जायेगी।

I. अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश परीक्षा पत्र वेबसाईट– http://pmet.univraj.org से निकलवाना होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र व रोल

नम्बर की सूचना का उल्लेख रहता है। अभ्यर्थी को मोबाईल पर एस.एम.एस द्वारा भी सूचना भेजने का प्रयास किया जाएगा।

II. परीक्षा की मूल उत्तर पुस्तिका (मूल O.M.R) Invigilator को सौपनीं होगी।

III. परीक्षा की मूल प्रश्न पुस्तिका व उत्तर पत्रक (O.M.R) की कार्बन प्रति परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी ले जा सकेगें।

परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ में लाना पूर्णतः वर्जित हैं।
परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में नीला/काला बालपेन (पारदर्शी) साथ में लाना न भूलें।

******************************END*****************************